AADHAAR

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 19.3.2018

Page No. 6, Size:(13.65)cms X (10.53)cms.

आधार कार्ड नहीं, फिर भी मिलेगा नर्सरी में एडमिशन

■ **प्रस, नई दिल्ली :** नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वे ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटिगरी के बच्चों के एडमिशन की प्रोसेस 31 मार्च तक पूरी करें। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को साफ कहा है कि आधार कार्ड ना होने पर एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता।

अगर डॉक्युमेंट्स में नाम में एक या दो लेटर अलग है, तो इस आधार पर एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन फॉर्म में सुधार के लिए बिना जरूरत पैरंट्स को डिपार्टमेंट ना भेजा जाए। साथ ही, सभी बच्चों को हर हाल में 1 अप्रैल तक किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियां, स्टेशनरी फ्री में बांटें। साथ ही, जनरल सीट वाले बच्चों और इस कैटिगरी के बच्चों और पैरंट्स का सेशन एकसाथ करें। शिक्षा निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटिगरी के लिए गाइडलाइंस जारी की है और पैरंट्स को कहा है कि 31 मार्च तक सभी स्टूडेंट्स के एडमिशन करें। इस कैंडिडेट्स को स्कूल अलॉट 15 मार्च को कर दिए गए हैं, जिसकी लिस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट में है।